झारखण्ड विधान-सभा

बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (यथा संशोधित बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990) निरसन विधेयक, 2006 ।

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम,1983 (यथा संशोधित बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990) निरसन विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना ।

धारायें ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ ।

2. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम,1983 (यथा संशोधित बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990) निरसन विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण निधि को लाभकारी एवं प्रभावी बनाने हेतु बिहार राज्य के अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित विधियों का निरसन करने हेतु विधेयक ।

चूँकि, झारखण्ड राज्य सरकार, झारखण्ड राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बेहतर लाभ उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

और, चूँकि, सी0 डबलू0 जे0 सी0 सं0– 1134/1995 सहित डबलू0 पी0 (पी0 आई0 एल0) सं0– 3783/05 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त बिन्दु पर झारखण्ड राज्य सरकार को विचार करने का निदेश दिया है;

और, चूँकि, झारखण्ड राज्य के अधिवक्ताओं के लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (यथा संशोधित) की तुलना में अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 (2001 का अधि0 45) अधिक हितकारी है ।

अब, इसलिए, भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ ।

(1) यह अधिनियम बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम,1983 (यथा संशोधित बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990) निरसन अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

(1) झारखण्ड राज्य के अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम, 45) से लाभान्वित होने के लिए इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम, 16) एवं बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम, 5) जो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–84 में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड परिक्षेत्र में में प्रचलित है, तथा जो अब झारखण्ड राज्य के लिए सुसंगत एवं लाभकारी नहीं रह गये हैं, को झारखण्ड परिक्षेत्र में इसके अनुप्रयोग के लिए निरसित किया जाता है ।

(2) व्यावृत्ति–ऐसे निरसन के होते हुए भी इस धारा की उपधारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई उक्त अधिनियमों के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायगी, मानो उक्त अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसां कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

यह विधेयक बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (यथा संशोधित बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990) निरसन विधेयक, 2006 दिनांक 25 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 25 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 35--50--5-9-2006 ।